न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंप जबलपुर

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक /2015 जिला जबलपुर

श्री गोपाल प्रसाद कुसराम उम्र लगभग 34 साल
पिता स्व. श्री इन्द्रपाल सिंह कुसराम जाति गौड़
(आदिवासी)
निवासी–ग्राम देवरीकला पोस्ट खुख्खम तह.
कुण्डम व जिला जबलपुर
——— आवेदक

विरूद्ध

1. श्री दीपक कुमार साहू उम्र 30 वर्ष
पिता श्री छोटेलाल साहू
(गैर आदिवासी) निवासी–3108/1, दुर्गा नगर,
अधारताल, जिला जबलपुर

2. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर भावसिंह गौंड़

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

———

मान्नीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 172/अ–21/2015–16 में पारित **आदेश दि. 24–10–16**) से व्यथित होकर धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) के तहत यह निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :–

1– यह कि आवेदक अपीलकर्ता आदिवासी श्री गोपाल प्रसाद कुसराम उम्र लगभग 34 साल पिता स्व. श्री इन्द्रपाल सिंह कुसराम जाति गौड़ (आदिवासी) निवासी–ग्राम देवरीकला पोस्ट खुख्खम तह. कुण्डम व जिला जबलपुर द्वारा **ग्राम डोली प.ह.नं. 22 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 78 रकवा 3.20 हे. भूमि अनावेदक गैर आदिवासी (श्री दीपक कुमार साहू उम्र 30 वर्ष पिता श्री छोटेलाल साहू (गैर आदिवासी) निवासी–3108/1, दुर्गा नगर, कटरा बस्ती, अधारताल, जिला जबलपुर वालों**

(21

गोपाल प्रसाद विरूद्ध दीपक कुमारसाहू आदि

IX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निगरानी 670 -एक/17 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-2-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 172/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 24-10-16एवं 6-2-17 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 24-10-16 को कुछ बिंदु निर्धारित कर प्रकरण जांच कर प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया है । इसके उपरांत आवेदक की अनुपस्थिति के कारण दिनांक 6-2-17 को प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । आावेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । 3- प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह	

निग० प्र० 670-८५/17

गोपाल प्रसाद विरूद्ध दीपक कु.

X(a)BR(I)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश
	प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है, जिसमें आवेदक द्वारा ग्राम डोली प.ह.नं. 22 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 78 रकबा 3.200 हैक्टर को अनावेदक क्रमांक 1/गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों खसरा इत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियां अपीलार्थी की स्वअर्जित भूमियां है जो उसके द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र से क्रय की गई हैं । उक्त भूमियां शासन से प्राप्त भूमियां नहीं है । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियों के अतिरिक्त विभिन्न ग्रामों में 5.770 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो आवेदक एवं उसके परिवार के सदस्यों के जीवन यापन के लिए पर्याप्त है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि क्रेता उसे वर्तमान गाइड लाइन से अधिक मूल्य देने को तैयार हैं । अंतरण में आवेदक के साथ कोई छल कपट नहीं हो रहा है और ना ही आवेदित भूमि के विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा । चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमियों को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिलाध्यक्ष, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-2-17 निरस्त किया जाता है तथा यह

(5)

गोपाल प्रसाद विरूद्ध दीपक कुमारसाहू आदि

X(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निगरानी 670 -एक/17

जिला – जबलपुर

आदेश तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को ग्राम डोली प.ह.नं. 22 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 78 रकबा 3.200 हैक्टर को अनावेदक क्रमांक 1/गैर आदिम जनजाति के सदस्य को सदस्य को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :- 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	